आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Social Justice and Empowerment Department (Director, Scheduled Caste Welfare), Government of Gujarat

# BCK-32B : Dr.P.G.Solanki Loan Assistance to Law Graduates

डॉ. पी. जी. सोलंकी योजना के तहत गुजरात सरकार अनुसूचित जाति के कानून स्नातकों को स्वतंत्र वकालत शुरू करने के लिए छोटा लोन और सहायता देती है।

### क्या मिल सकता है

अनुसूचित जाति के कानून स्नातक को स्वतंत्र वकालत शुरू करने, जिसमें काम की जगह या दुकान शामिल है, के लिए 4% ब्याज पर 7,000 रुपये का लोन और 5,000 रुपये की सहायता।

### किसके लिए है

गुजरात के अनुसूचित जाति के कानून स्नातक, जो बार काउंसिल में पंजीकृत हैं और स्वतंत्र वकालत शुरू करना चाहते हैं।

### मुख्य शर्तें

- आवेदक अनुसूचित जाति का कानून स्नातक होना चाहिए।
- आवेदक के पास बार काउंसिल का पंजीकरण नंबर और तारीख होनी चाहिए, जिसके साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति लगानी होती है।
- यह लाभ केवल गुजरात राज्य के मूल निवासियों को दिया जाता है।

### दस्तावेज़

- बार काउंसिल पंजीकरण प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति

### स्थिति

चालू

**आधिकारिक स्रोत:** https://sje.gujarat.gov.in/dscw/showpage.aspx?contentid=1554&lang=English
**आधिकारिक आवेदन:** https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/index.aspx?ServiceID=EC4ghKX9M1rW9f96Rxl9BQ==
**Labh Lo पेज:** https://labhlo.in/hi/schemes/gujarat/gj-bck-32b-solanki-law-graduate-loan-assistance-sc/

**Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।**
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।